

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान ..... वसुन्धरा बाई आदि बनाम ..... वरुनि सिंह  
 प्रकरण संख्या ..... 71/2021 अन्तर्गत धारा ..... 312 RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
8/23	अधिवक्तागण उपस्थित। जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया जाता है। पत्र की अवधि आगामी पेशी तक बढ़ जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 6/9/23 को पेश हो। (b)	
06/23	अधिवक्तागण उपस्थित जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया जाता है। पत्र की अवधि - आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 11/09/23 को पेश हो। (b)	
11/23	वकील फरीकन उपस्थित श्रीमान् PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 18/09/23 को पेश हो।	
18/23	वकील फरीकन उपस्थित श्रीमान् PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 19/09/23 को पेश हो। <i>Karni</i>	
19/23	अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में जारी अस्थापी निवेधास्ता को मूलवाद के विनिर्ग तक स्थापी किया जावे। अधिवक्तागण को सुना गया व पत्रावली का अपीलान किया गया। लिहाजा प्रकरण में जारी दिनांक 07/09/2021 की अस्थापी निवेधास्ता को मूलवाद के विनिर्ग तक स्थापी किया जाता है। पत्रावली विनिर्ग होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ बलगत हो। (b)	



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
 श्री करणपुर